पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा श्री केदारनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत सी0एस0आर0 मद (बी0पी0सी0एल0) के अन्तर्गत सरस्वती नदी पर 54 मीटर स्पान सेतु के निर्माण कार्य की योजना के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे :–

1. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. डा0 बी0बी0आर0सी0 पुरूषोतम, सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री अयाज अहमद, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौडी।
5. श्री के0पी0 उप्रेती, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– श्री केदारनाथ धाम में भारत सरकार द्वारा उत्तरखण्ड सरकार के मन्तव्यानुसार मास्टर प्लान के अनुरूप श्री केदारपुरी के प्रस्तावित पुनर्निर्माण, पुर्नस्थापन एवं पुनर्विकास के उद्देश्य से सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत सरस्वती नदी पर 54 मीटर स्पान सेतु के निर्माण की आवश्यकता अवगत करायी गयी है।
2. निर्माण कार्य के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2021 को सम्पन्न हुई जिसमें सरस्वती नदी पर 54 मीटर स्पान सेतु लागत रू0 1963.29 लाख को व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की गयी।
3. **योजना प्राविधान** :–

परियोजना में निम्न प्राविधान किये गये है :–

i) एबटमेन्ट की नींव में खुदाई का कार्य।
ii) एम–35 गेड कंक्रीट का कार्य।
iii) पी0ओ0टी0/पी0टी0एफ0ई बियरिंग का कार्य।
iv) सेतु निर्माण में स्ट्रक्चरल, member एवं ज्वाइंट कनेक्शन।
v) सेतु के ऊपर पोफाइल्स शीट लगाने का कार्य।
vi) एम–25 ग्रेड कंक्रीट से डैक स्लैब का निर्माण।
vii) पेटिंग का कार्य।

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमतः–** सेतु निर्माण के आगणन को प्रशासनिक विभाग द्वारा विभागीय समिति की बैठक के उपरान्त सीधे व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

5. प्रस्तावित योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Item of Work	Amount in Lakh		
		DSR	SOR	NSI
1	Cost of 54 mtr. Span Pedestrain Bridge	9.51	1649.44	38.52
	Add Contingency 3% +1%QC	0.38	65.98	1.54
	Sub Total	9.89	1715.42	40.06
	Add GST 12% on SOR item (Rs 1649.44)	-	197.93	-
	Total	9.89	1913.34	40.06
	Grand Total		**1963.29**	

परियोजना की कुल लागत :– रू0 1963.29 लाख

6. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

सचिव, पर्यटन विभाग के अनुरोध पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त के आलोक में कार्य की लागत रू0 1963.29 लाख को निम्न **निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया** :–

6.1 वास्तविक कार्य स्थल की सेफ बियरिंग कैपेसिटी के अनुसार सेतु के डिजाइन एवं ड्राइंग के आधार पर ही निर्माण कार्य कराया जाय।

6.2 निर्माण कार्य की hydraulic & Structural Design and Drawing शासन से अधिकृत संस्थान से वेटिंग करायी जाय तथा उसी के अनुसार वास्तविक लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाय एवं आगणन की वास्तविक लागत से नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाय।

6.3 सेतु निर्माण कार्य में सुरक्षात्मक कार्यो की लागत रू0 686.00 लाख है जो कि अपेक्षाकृत अधिक है कार्यदायी संस्था Cost Effectiveness का विशेष ध्यान रखे।

6.4 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6.5 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

6.6 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जाय।

6.7 निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

6.8 निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्राइंग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जाय।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

6.9 आगणन में डी0एस0आर0–2018 एवं लोक निर्माण विभाग की एस0ओ0आर0 2021–22 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

6.10 विभागीय दरों के अतिरिक्त जो कार्य नॉन शिड्यूल मदों के अन्तर्गत कराये जाने है उनकी अधिप्राप्ति एवं क्रियान्वयन हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अक्षरसः पालन सुनिश्चित किया जाय।

6.11 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन विभाग को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 6.1–6.11 तक निहित शर्तो का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(डा0 बी0बी0आर0सी0 पुरूषोतम)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 1410/778/पर्यटन/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2021–22
देहरादूनः दिनांकः 10 नवम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

आज्ञा से,

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव